भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2728

दिनांक 16 **मार्च**, 2023

शेल गैस का उत्पादन

†2728 **डॉ. थोल तिरुमावलवन**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शेल गैस के उत्पादन में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास वर्तमान में उत्पादित शेल गैस की मात्रा के बारे में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शेल-गैस उत्पादन से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) एवं (ख) भारत सरकार ने दिनाँक 14 अक्टूबर, 2013 को राष्ट्रीय तेल कम्पनियों (एनओसीज) अर्थात् ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के लिए शेल गैस और तेल के अन्वेषण और दोहन हेतु नीति सम्बन्धी दिशानिर्देशों की घोषणा की थी। शेल गैस नीति, 2013 के अन्तर्गत, आज की तिथि के अनुसार, ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा अपने-अपने सम्बन्धित पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल) क्षेत्रों में 34 कूपों का वेधन किया गया है। अन्वेषण का पहला चरण अप्रैल, 2017 में समाप्त हो गया। भारतीय तलछटी बेसिन में शेल गैस का अन्वेषण आरंभिक चरण में है और किसी भी क्षेत्र/ब्लॉक से शेल गैस का उत्पादन नहीं किया जा रहा है।

(ग) एवं (घ) भारत सरकार ने शेल गैस और तेल नीति, 2013 के माध्यम से हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग हेतु जल के उपयोग सहित शेल गैस उत्पादन से सम्बन्धित चिन्ताओं को सुसंगत रूप से दूर किया है। इसके अलावा, शेल गैस/तेल के अन्वेषण और उत्पादन के दौरान पर्यावरणीय प्रबन्धन हेतु दिशानिर्देशों को हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है।

****